न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सुपौल।

राजेश्वरी थाना कांड संख्या–146 / 2025

	अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–568 / 2026 **1. घंटु ततमा उर्फ छंटु ततमा उर्फ मंटु ततमा, उम्र करीब–35 वर्ष,** **2. शंभू ततमा, उम्र करीब–40 वर्ष, दोनों पिता–बरजंगी ततमा** **3. शाहवीर ततमा उम्र करीब– 55 वर्ष, पिता स्व0 मुक्ती ततमा** **4. अनिता देवी, उम्र करीब–38 वर्ष, पति–शंभू ततमा** **सभी साकिन–महम्मदगंज, वार्ड नं0–05, थाना–राजेश्वरी, जिला–सुपौल।** **.....आवेदक अभियुक्तगण** **बनाम्** **बिहार सरकार.....विपक्षी।**	
21.07.2026	प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक अभियुक्तगण **1. घंटु ततमा उर्फ छंटु ततमा उर्फ मंटु ततमा, 2. शंभू ततमा, 3. शाहवीर ततमा** एवं **4. अनिता देवी** की ओर से दाखिल किया गया है, जो राजेश्वरी थाना कांड संख्या–146 / 2025 अन्तर्गत धारा–126(2), 115(2), 117(2), 118(2), 303(2), 352(2), 351(2), 3(5) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत के अधीन दर्ज काण्ड में गिरफ्तारी के भय से आशंकित है एवं जिनका यह वाद श्री चेतन आनंद, न्यायिक दण्डाधिकारी, सुपौल के न्यायालय में लंबित है। अग्रिम जमानत के बिन्दु पर आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री नागेन्द्र नारायण ठाकुर एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री अमर कुमार दास को सुना। आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वह निर्दोष है तथा उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक अभियुक्तगण के द्वारा इस अग्रिम जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई दूसरा अग्रिम जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल किया गया है। आवेदक अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वर्तमान मुकदमा राजेश्वरी थाना काण्ड संख्या–143 / 25 धारा–126(2), 115(2), 117(2), 118(2), 109(1), 76, 303(2), 351(2), 3(5) बी0एन0एस0 का प्रतिलोम वाद है। उभयपक्ष आपस में दियाद एवं फरीक हैं तथा उनके बीच जमीन संबंधी विवाद है। धारा– 117(2), 118(2), एवं 303(1) बी0एन0एस0 को छोड़कर प्राथमिकी में अंकित अन्य सभी धाराएं जमानतीय हैं। यह है कि धारा–303(2) बी0एन0एस0 का आरोप का प्रश्न है उक्त आरोप किसी भी अभियुक्त के विरूद्ध विशिष्ट रूप से नहीं है। आवेदक अभियुक्तगण धारा–482(2) बी0एन0एस0एस0 के सभी नियम एवं शर्तों को मानने को तैयार है। अतः उसकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करने की कृपा की जाय। विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुये निवेदित किये हैं कि आवेदक अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति की है। अतः उनकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन खारिज करने योग्य है। अभियोजन का कथानक संक्षेप में यह है कि, दिनांक–02.12.2025 को समय 8 बजे रात में सूचिका ललिता देवी के खेत के बगलगीर अपना खेत जोतवा रहा था, तो सूचिका के पुत्र सुनील कुमार बोला कि उपेन्द्र मेहता व बिरेन्द्र मेहता का खेत जोत हो रहा है, तो अपना भी	लगातार

लगातार 21.07.2026	खेत जोतवा लेते है, यह कहकर सूचिका के पुत्र खेत पर जाकर ट्रैक्टर से खेत जोतवाने लगा कि उसी समय आवेदक अभियुक्तगण एवं 4 अन्य लाठी डंडा लेकर सूचिका के केवाला खरीद भूमि मौजा–महम्मदगंज, खाता–432, खेसरा–2237, 2239, जमाबंदी संख्या–2207, 2844 रकवा–25 डी0 पर आकर गाली–गलौज, मारपीट करते हुए जोर–जबरदस्ती जमीन जोतने से रोक दिया। ट्रैक्टर चालक को मारपीट कर चांदी का चेन छिन लिया, हल्ला सुनकर हमलोग बीच–बचाव करने अपने उक्त जमीन पर गये, तो उक्त सभी हमलोगों को जान मारने की धमकी देते हुए गाली–गलौज मारपीट करने लगा। तबतक आस–पास के बहुत से लोग आये बीच–बचाव किये। सभी सूचिका के जमीन जोर–जबरदस्ती खेत में सरसो बो दिया तथा सूचिका के खेत के चारो ओर लगा बेड़ही उजाड़ कर क्षतिग्रस्त करके पश्चिम में लगा टाट–बेड़ही में आग लगा दिया है। अग्रिम जमानत आवेदन पर उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि उभय पक्ष आपस में दियाद हैं तथा उनके मध्य पूर्व से जमीनी विवाद है। आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध सूचक पक्ष के साथ मारपीट करने का आरोप है। कांड दैनिकी 4 एवं 6 के साक्षियों ने कथन किया है कि जमीन विवाद को लेकर दोनों में पहले भी झगड़ा होता रहता है। वाद दैनिकी की कंडिका 17, 18 एवं 19 के साक्षियों ने कथन किया है कि लड़ाई झगड़ा एवं मारपीट में किसी महिला के साथ कोई छेड़छाड़ एवं किसी भी प्रकार का जेवरात किसी के द्वारा नहीं लिया गया है। वाद दैनिकी की कंडिका 24 में जख्मी शिवा कुमार का जख्म प्रतिवेदन का वर्णन है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि उक्त जख्मी को साधारण प्रकृति का जख्म कारित हुआ है। आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता अपने अग्रिम जमानत आवेदन में उल्लेखित किये हैं कि आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रस्तुत वाद राजेश्वरी थाना काण्ड संख्या–143 / 25 का प्रतिलोम वाद है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक अभियुक्तगण **1. घंटु ततमा उर्फ छंटु ततमा उर्फ मंटु ततमा, 2. शंभू ततमा, 3. शाहवीर ततमा** एवं **4. अनिता देवी** के द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को **स्वीकृत** किया जाता है तथा इस आदेश की तिथि से तीस दिनों के अन्दर आवेदक अभियुक्तगण के उपस्थित होने पर या उस अवधि में गिरफ्तार होने पर उन्हें विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतुष्टि पर मो0–10,000 / – (दस हजार रूपय) की राशि के दो–दो समान प्रतिभूओं वाले बन्ध–पत्र दाखिल करने पर बी.एन.एस.एस. की धारा 482(2) के शर्तो के साथ मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। लेखापित **(कुमार कौशल किशोर)** अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ प्रभारी न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सुपौल	